तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अहक... की ता...
	आदेश 7 नियम 11 दिनांक 1.11.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी ~~बर~~ उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 6-11-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
06-11-2019	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन व बहस उभयपक्षीय सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC [illegible] में स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से ~~सुनाया~~ लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
31/2017	15.11.2017	06.11.2019

पीठासीन अधिकारीः— राहुल सैनी {आर.ए.एस.}

1. सद्दू पुत्र अम्बालाल जाति माली निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा

—वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा
2. सरकार जरिये तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री चिरंजीलाल सैनी एड0

प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री लोकेश सीठा एड0

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

:— नि र्ण य :—

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी के तहत दिनांक 28.06.2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होकर प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत निम्नानुसार पेश कर तथ्य अंकित किये हैं कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1012 रकबा 0.56 है0 (साबिक खसरा नंबर 451 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा) वाके ग्राम भगवतगढ़ मुझ प्रतिवादी के पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है जो कि प्रतिवादी के पिता लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के उपरान्त मुझ प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। इस वादपत्र में मुझ प्रतिवादी के पिता लक्ष्मीनारायण से अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 05.06.1974 को खरीदना बताया है तथा यह भी वर्णित किया है कि उसके पास रूपयों का इंतजाम नहीं होने के कारण वह विक्रय पत्र की रजिस्ट्री नहीं करा सका तथा लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के बाद भूमि का नामान्तरकरण उसके बेटे सत्यनारायण के नाम खुल गया जिसने भी रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करते हुये रजिस्ट्री नहीं करवायी तथा अन्य को बेचने की धमकी दी और इस आधार पर उसने अपने पक्ष में उक्त भूमि पर अपने हक की घोषणा करते हुए राजस्व रिकार्ड में उसके पक्ष में इन्द्राज करने एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की है। इस प्रकार वादी अपना वादपत्र अनस्टाम्पड व अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर लेकर आया है साथ में यह भी वर्णित किया है कि लक्ष्मीनारायण से वह विक्रय पत्र की रजिस्ट्री

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned by CamScanner

नहीं करवा सका एवं उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी ने भी रजिस्ट्री नहीं करवाई। प्रथमतया तो वादी द्वारा बताया गया विक्रय पत्र कतई मिथ्या व फर्जी है साथ ही वह अनस्टाम्प व अनरजिस्टर्ड होकर सादा कागज पर लिखा हुआ है। कानूनं अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम ना तो नामान्तरकरण खोला जा सकता है और ना ही उसके नाम खातेदारी की घोषणा कर उसके पक्ष में खातेदारी का इन्द्राज किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे दस्तावेज की कानूनं कोई अहमियत व वैद्यता नहीं है साथ ही कानूनं ऐसा दस्तावेज विक्रय पत्र न होकर मात्र विक्रय इकरारनामा कहलाता है। कानूनं ऐसे कथित विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाने का वाद पत्र बाबत् स्पेसिफिक परफोरमेन्स ऑफ कान्ट्रेक्ट (तकमिल मुआयदा) केवल सक्षम सिविल न्यायालय में ही लाया जा सकता है। सिविल न्यायालय पक्षकारों को सुनने के उपरान्त कथित विक्रय पत्र को वैद्य व सही होना माने तो वादी के पक्ष में विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आदेश पारित फरमा सकता है। विक्रय पत्र के पंजियन हुए बिना वादी को विवादित भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और न ही उसके पक्ष में हक व अधिकारों की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार वादी द्वारा उक्त प्रकार से वाद पत्र सिविल न्यायालय में पेशकर अपने पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाये जाने हेतु आदेश करवाकर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाये जाना चाहिए था। जिसके आधार पर स्वतः ही वादी को हक व अधिकार प्राप्त हो जाते। इस प्रकार वादी ने सिविल न्यायालय में दावा पेश कर श्रीमान के न्यायालय में दावा पेश किया है जो कि कानूनं मेन्टेलेबल नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड कथित विक्रयनामें के आधार पर इस न्यायालय को वादी के पक्ष में हकों की घोषणा करने एवं उसके पक्ष में इन्द्राज किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये जाने का कानूनं कोई अधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है। वादी का यह वाद विधि वर्जित होकर क्षेत्राधिकार से भी बाहर है तथा आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में प्रारम्भिक स्तर पर हीं खारिज होने योग्य है। इसके अलावा अनस्टाम्पड व अनरजिस्टर्ड कथित विक्रय पत्र/बेनामा के आधार पर इस न्यायालय में वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करने हेतु कोज ऑफ एक्शन अराईज होना भी नहीं माना जा सकता। इस हेतु कोज ऑफ एक्शन अधिक से अधिक स्पेशिफिक परफोरमेन्स ऑफ कान्टेक्ट अर्थात तकमिल मुआयदा/संविदा के विशिष्ट अनुपालन का वाद पत्र पेश करने हेतु माना भी जावे तो इस हेतु वादपत्र माननीय सिविल कोर्ट में ही मेन्टेलेबल है तथा कानूनं इस न्यायालय में पेशरफ्त नहीं है। इस दावा हेतु कानूनं कोई कोज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं हुआ है एवं सिविल कोर्ट में भी दावा बेनामा/एग्रीमेंट की तारीख से 3 साल के अन्दर ही लाया जा सकता है तथा इस न्यायालय में भी यह दावा बेनामे की तारीखी 05.06.1974 से भी 44 साल बाद पेश किया गया है जो कि मियाद बाहर होने के बिन्दु पर भी यह वादपत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वादी सद्दू पुत्र अम्बालाल जाति माली निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा ने दिनांक 01.11.2019 को जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी (वादी) ने विवादग्रस्त आराजी को

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned by CamScanner

दिनांक 05.06.1974 में प्रतिवादी के पिता लक्ष्मीनारायण से खरीद चुका है व मौके पर खातेदारी काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है। प्रतिवादी ने वादी को काश्त करने से मना किया और अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी तब वाद कारण उत्पन्न हुआ जो दावे के मद नंबर 6 में विवरण है। अप्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के मद नंबर 3 में यह स्वीकार कर रहा है कि दस्तावेज विक्रय पत्र न होकर इकरारनामा है जिससे यह जाहिर हो रहा है कि सौदा तो हुआ है। इस्तकरार हक की घोषणा का दावा रेवेन्यू कोर्ट में लाने का अधिकार है, जिससे श्रीमान को सुनने का श्रवण अधिकार प्राप्त है। घोषणा का दावा कभी भी लाया जा सकता है। हक की घोषणा के दावे में कोई मियाद नहीं होती है। दावा अभी जवाबदावे की स्थिति में विचाराधीन है। जब तक वादी की साक्ष्य व प्रतिवादी की साक्ष्य नहीं ली जाती तब तक दावा खारिज किया जाना विधि विरूद्ध है। वादी का दावा आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की परिभाषा में नहीं आ रहा है। प्रतिवादी वादी के दावे को देरी करना चाहता है इसलिए झूठा व निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार वादी ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया। वादी द्वारा अपने वादपत्र में अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड एक सादा कागज पर किये गये इकरारनामे आधार पर हक की घोषणा करवाना चाहता है, तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाना चाहता है। एक अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड सादा कागज पर किये गये इकरारनामे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जिसे यदि माननीय न्यायालय उचित समझे एवं कथित विक्रय पत्र को वैद्य व सही होना माने तो वादी के पक्ष में विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आदेश पारित फरमा सकता है।

इसलिये हम प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.19 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान चौथ का बरवाडा

1. सदू पुत्र अम्बालाल जाति माली निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाडा
2. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

नम्बर मुकदमा 31 सन् 2017

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री चिरंजीलाल सैनी एड. और प्रतिवादी 1 की ओर से श्री लोकेश कुमार सीठा एड. की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 06.11.2019 को श्री राहुल सैनी (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र अम्बालाल जाति नाई निवासी ग्राम भगवतगढ़ तहसील चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है।

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 06.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	02	00			
	जोड	07	00	जोड	01	00

राहुल सैनी)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (स. मा.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2019.12.03 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: